रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83] दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2011/वैशाख 26, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 36
No. 83] DELHI, MONDAY, MAY 16, 2011/VAISAKHA 26, 1933 [N.C.T.D. No. 36

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग (राजस्व-1)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2011

सं.एफ 3(11)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/डीएसII/181.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल को इस सम्बंध में सशक्त बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उप-राज्यपाल श्री राजेन्द्रा कुमार भा.प्र.से. (ए.जी.एम.यू-89) को उक्त अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यग्रहण की तिथि से आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
के उप-राज्यपाल के नाम तथा उनके आदेश पर,

अरविन्द जैन, उप सचिव-II

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2011

No. F.3(11)/Fin.(T&E)/2009-10/DSII/181.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), and all other powers enabling him in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. Rajendra Kumar, IAS (AGMU:89) as Commissioner, Value Added Tax, Govt. of NCT of Delhi for carrying out the pruposes of the said Act with effect from the date he assumes charge of the office.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

ARVIND JAIN, Dy. Secy. -II

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2011

सं. फा.3/1/2011/गृह पुलिस-2/2903.— भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 302/307/395/397/435/436/449/450/452/323/148/120-ख के अंतर्गत दिनांक 21-4-2010 के मामले की प्राथमिकी संख्या 166 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की उप-धारा (1) तथा धारा 4 के अन्तर्गत थाना नारनाद, जिला हिसार, हरियाणा राज्य बनाम धर्मबीर व अन्य का भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तांतरण किये जाने पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, की दिनांक 20 मार्च, 1974, की अधिसूचना संख्या 11011/2/1974-यू.टी.एल.(1) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)

की धारा 15 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एस. पी. अहलूवालिया, अधिवक्ता, को भी आगामी आदेशों तक विशेष लोक अभियोजक के तौर पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की ओर से पूर्ववत प्रकरण का मुकदमा लड़ने के लिए नियुक्त करते हैं । उनकी फीस का भुगतान नियमानुसार हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय चगती, अतिरिक्त सचिव

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2011

No. F. 3/1/2011/HP-II/2903. — Consequent upon transfer of case FIR No. 166 dated 21-4-2010 under Sections 302/307/395/397/435/436/449/450/452/424/323/148/149/120-B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and under sub-section (1) of Section 3 and Section 4 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) - State vs. Dharambir etc., P.S. Narnaund, District Hisar, Haryana, to the National Capital Territory of Delhi, by the Supreme Court of India, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and under section 15 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), is pleased to also appoint Shri S.P. Ahluwalia, Advocate, as Special Public Prosecutor, for conducting the prosecution of the aforesaid case, on behalf of the Government of NCT of Delhi, in the Court of competent jurisdiction till further orders. The fee will be paid by the Haryana Government as per applicable rates/rules.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory
of Delhi,

AJAY CHAGTI, Addl. Secy.

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 16 मई, 2011

संख्या फा. 6/10/2011-न्याय/561-564.— परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त एवं इस विषय में अधिकार प्रदान करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, तत्काल प्रभाव से, साकेत न्यायालय परिसर में दो परिवार न्यायालयों की स्थापना अधिसूचित करते हैं, जिस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दिल्ली का दक्षिण सिविल (दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व पुलिस जिला) जिला होगा ।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th May, 2011

No. F.6/10/2011-Judl./561-564— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 3 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, notifies the establishment of two Family Courts at District Courts Saket having jurisdiction over South Civil District (South and South-East Police Districts) of Delhi.

संख्या फा. 6/10/2011-न्याय/557-560.— परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री के.एस. मोही एवं सुश्री रेनू भटनागर को, साकेत न्यायालय परिसर में, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय के पद पर उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव

No.F.6/10/2011-Judl./557-560— In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, hereby appoints Mr. K.S. Mohi and Ms. Renu Bhatnagar, officers of Delhi Higher Judicial Service, to the post of Judges of Family Courts at District Court Saket, Delhi, from the date they assume charge of their offices.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National
Capital Territory of Delhi,

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

माप तोल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मई, 2011

सं. फा. 7(63) एम.डब्ल्यूएम/2000/304-13.— विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित इसकी धारा 2(क्यू) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये बाट एवं माप के नियन्त्रक श्री वी. के. जैन को विधिक माप पद्धति का नियन्त्रक नियुक्त करते हैं ।

श्री आर. टी. एल. डीसूजा की नियन्त्रक विधिक माप पद्धति के रूप में नियुक्ति की पूर्व अधिसूचना सं फा.7(63)/एम.डब्ल्यू. एम/2000/6355-65 दिनांक 01-12-2010 को रद्द करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

धर्मपाल, सचिव (विधिक माप विज्ञान)

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES

NOTIFICATION

Delhi, the 16th May, 2011

No. F. 7(63)/MWM/2000/304-13.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (No.1 of 2010) and read with the Section 2(q) of said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. V.K.Jain as Controller (Weights & Measures) to be the Controller of Legal Metrology for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

The Government's earlier Notification No. 7(63)/ MWM/2000/6355-65 dated 01-12-2010 appointing of Sh. R.T.L.D'Souza as Controller of Legal Metrology is hereby cancelled.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

DHARAM PAL, Secy. Legal Metrology

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.